कार्यालय : वन संरक्षक भागलपुर अंचल, भागलपुर

सुन्दर वन , बरारी रोड, भागलपुर – 812 003 दूरभाष– 0641 – 2611818

पत्रांक– 1495 दिनांक – 24-11-17

प्रेषक,

के0 के0 अकेला, भा0व0से0
वन संरक्षक,
भागलपुर अंचल, भागलपुर।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–
नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना।

विषयः– जमुई वन प्रमंडल अन्तर्गत 132 KV D/C जमुई (नई) बांका (नई) GSS (Rout length 36 km) ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंगः– आपका ज्ञापांक– रा0 क0 59/17 (व0स0) 932 दिनांक– 11.09.2017।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई के पत्रांक– 1497 दिनांक– 11.10.2017 के द्वारा प्रयोक्ता ऐजेन्सी Bihar State Power Transmission Company Ltd. Jamui से वन प्रमंडल जमुई अन्तर्गत 132 KV D/C जमुई (नई) बांका (नई) पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कुल– 6 प्रतियों में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसका ब्यौरा निम्नवत् है :–

1. प्रस्तावित स्थल केशोपुर–वोरवा रतनपुर गुगलडीह लिंक पथ एवं धमना झाझा लिंक पथ में अवस्थित है, जो सुरक्षित वन धोषित है एवं पथ की लम्बाई 24 कि0मी0 है। प्रयोक्ता ऐजेन्सी के द्वारा ट्रांसमिशन लाईन बिछाने हेतु कुल– 0.140 हे0 वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है। एतद् संबंधी अधिसूचना की छाया प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

2. प्रस्तावित पथ के किनारे अवस्थित विभिन्न प्रजाति के पातित होने वाले वृक्षो की कुल संख्या– 11 है। जिसकी गणना वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई एवं प्रयोक्ता ऐजेन्सी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। (गणना सूची संलग्न)

3. परियोजना निर्माण से संबंधित संलग्न मानचित्र का भौतिक सत्यापन वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई के द्वारा कर दिया गया है।

4. परियोजना निर्माण के लिए अपयोजित होने पाली वन भूमि की क्षेत्रफल 0.140 हे0 है, जिसका उल्लेख प्रपत्र के भाग II में कर दिया गया है।

5. बन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई का स्थल निरीक्षण टिप्पणी अलग से प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

6. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु पातित होने वाले वृक्षों के दस गुणे अर्थात् 110 पौधो का रोपण जमुई शहर में किया जाएगा, जिसके लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई ने वर्त्तमान मजदूरी दर पर कुल 231300/– रूपये की लागत से क्षतिपूरक वनरोपण का योजना समर्पित किया है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

7. परियोजना स्थल के आस–पास वन्यप्राणी होने की सूचना नही है, जैसा कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई ने अपने स्थल निरीक्षण टिप्पणी में प्रतिवेदित किया है।

8. परियोजना क्षेत्र निर्माण के आस–पास कोई वन्यप्राणी आश्रयणी नही है, जिसका उल्लेख वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई ने अपने स्थल निरीक्षण टिप्पणी एवं प्रपत्र के भाग II में किया है।

9. अपयोजित होने वाली वन भूमि का FRA 2006 का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

10. परियोजना में अपयोजित होने वाली वन भूमि का DGPS Reading प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

11. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु आवश्यक निधि प्रयोक्ता ऐजेन्सी के द्वारा उपलब्ध कराया जाने से संबंधित वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

12. प्रस्ताव के PART III में वन संरक्षक द्वारा अपनी अनुशंसा कर स्थल निरीक्षण टिप्पणी अलग से संलग्न किया गया है।

अतः अनुरोध है कि केन्द्र सरकार को इस प्रस्ताव हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा– 2 के तहत् पूर्वानुमति प्राप्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0 : यथोक्त।

आपका विश्वासी

प्रस्तवनी 5 प्रतियॉ मूल रूप में

24/11/17

(के0 के0 अकेला)
वन संरक्षक
भागलपुर अंचल, भागलपुर